न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 93/2017 (उदयपुर डिक्री)

परथा पिता गुलाब जी डांगी, निवासी ग्राम कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती फेफी पत्नी पूरा जी डांगी, निवासी ग्राम कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कंकू पत्नी भीलमा जी डांगी पुत्री गुलाब जी डांगी, निवासी ग्राम कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रेखा पत्नी घनश्याम जी सुथार, निवासो ग्राम कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भू-अधिकारी, तहसीलदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0-1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 17.06.2017, प्र. सं. 51/14

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री कल्पित जैन अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

---:::---

निर्णय दिनांक

05-08-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष मेघा जी के पुत्र गुलाब जी हुए, जिसके वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। वाद पत्र की

कलम संख्या 2 व 3 अनुसार मौजा कानपुर में विवादित भूमियां स्थित होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी की हैं, किन्तु गुलाब जी मुत्यु पर विरासत का नामान्तकरण मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खुला, जबकि वादीगण भी गुलाब जी की पुत्रियां होने से उनका भी उक्त वादग्रस्त भूमियां में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समान ही समान हक व अधिकार है, किन्तु गुलाब जी मृत्यु हाने पर भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विकय कर दिया व बाद में दिनांक 14–02–2014 को जब मौके पर जबरदस्ती कब्जा किया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 14 (क) अनुसार उन्हें विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 1618, 1670, 1693 व 1694 कुल किता 4 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि का जो विकय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया है उसे वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर घोषित करते हुए दोनों वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 29–06–2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकियात कायम की गयी तथा प्रकरण लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–06–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो गयी थी तथा प्रकरण उसकी नामकायमी में चल रहा था, किन्तु उसकी नाम कायमी करवाये बिना प्रकरण लोक अदालत में रखकर बिना अपीलान्ट को सूचना दिये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे एवं अन्य कोई विधिक अनुतोष जो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो, प्रदान कराया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वाद कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से प्रकरण उसकी नाम कायमी में चल रहा था। इसके बाद प्रकरण में 4 पेशियों में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहे या अन्य कारणों से प्रकरण में सिर्फ छाप लगाकर कार्यवाही चलती रही एवं इसके बाद प्रकरण में दिनांक 21–03–2017 को दिनांक 13–06–2017 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर बिना प्रतिवादी संख्या 2 की नाम कायमी कराये एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में दिनांक 13–06–2017 के स्थान पर दिनांक 17–06–2017 को रखकर वादीगण की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2017 अपास्त की जाती है तथा यदि इस निर्णय व डिक्री की पालना में कोई इन्द्राज किये गये हों तो वह भी निरस्त किये जाते हैं एवं पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को

इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही/साक्ष्य आदि लेकर तथा उभयपक्षों को सनुकर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–10–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............उदयपुर.............

व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.......47/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
............गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............18................माह..............07...........2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश हाकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13......माह.......03...........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।